भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3049

उत्तर देने की तारीख : 04.08.2022

तकनीकी केंद्रों की स्थापना

3049. श्री कुलदीप राय शर्मा :
श्री रघु राम कृष्ण राजू :
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं साथ-साथ देश में कार्यरत ऐसे प्रौद्योगिकी केंद्रों की संख्या कितनी है;

(ख) : क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कम संख्या में प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) : प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना करते समय सरकार के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं;

(घ) : क्या सरकार का देशभर में नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का विचार है;

(ङ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें सम्मिलित अनुमानित धनराशि क्या है;

(च) : क्या सरकार एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वपीसमूह, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत ऐसे केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इन केन्द्रों संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इनकी स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(छ) : देश के विभिन्न भागों में कम से कम एक प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र देश में रोजगार सृजन करने वाले के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद एमएसएमई प्रौद्योगिकी तक पहुंच, कौशलयुक्त श्रम शक्ति की उपलब्धता, बाजार से सम्बद्धता आदि के संबंध में बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने देशभर में वर्ष 1967 से 1999 के बीच 18 प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी), जिन्हें पहले टूल रूम (संख्या 10) तथा प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों (संख्या 8) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना की थी। (सूची अनुबंध-क के रूप में संलग्न है)

इन प्रौद्योगिकी केन्द्रों का प्राथमिक उद्देश्य देश में उद्योगों, विशेषकर एमएसएमई की निम्नलिखित रूप में सहायता करना है:-

I. उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करना;
II. प्रौद्योगिकी विकास में श्रम शक्ति को कौशलयुक्त बनाना;
III. एमएसएमई को तकनीकी और व्यावसायिक परामर्शी सहायता प्रदान करना।

एमएसएमई को सेवाएं प्रदान करने में मौजूदा 18 प्रौद्योगिकी केन्द्रों की सफलता को ध्यान में रखते हुए देशभर में और अधिक प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) की स्थापना करके टीसी नेटवर्क को सुदृढ़ करने की प्रबल आवश्यकता महसूस की गई थी। तदनुसार, प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत देशभर में 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है (सूची **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न) ।

(ख) : वर्ष 1967 से 1999 के बीच एमएसएमई मंत्रालय ने देशभर में 18 प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। तथापि, सम्पूर्ण भारतवर्ष में 33 प्रौद्योगिकी केन्द्रों के बढ़े हुए नेटवर्क के बावजूद बड़ी संख्या में एमएसएमई को इनका लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। इसको देखते हुए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की पहुंच को और आगे बढ़ाने के लिए 20 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों तथा 100 विस्तार केन्द्रों को स्थापित करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा ''नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों की स्थापना'' नामक स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

(ग) : प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) की स्थापना करते समय सरकार द्वारा सामना की गई चुनौतियां निम्नानुसार हैं:-

- प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि के आबंटन में विलम्ब;
- निर्माण-पूर्व अनुमोदनों जैसे मास्टर प्लान पर अनुमोदन, निर्माण संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने के लिए विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के संबंध में सहमति आदि प्राप्त करने में विलम्ब;
- कोविड-19 के कारण वैश्विक मूल्य श्रृंखला प्रभावित हुई थी जिसके परिणामस्वरूप टीसीएसपी के अंतर्गत नए और मौजूदा टीसी में मशीनों की आपूर्ति में विलंब होना;
- कोविड-19 के फैलने तथा इसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थलों पर सिविल कार्य प्रभावित होना;
- तैयार की जाने वाली मशीन के अंतिम प्रारूप के विनिर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न कलपुर्जों का आयात किया जाना था परंतु यह आयात बंदरगाह पर शिपमेंट के संबंध में लम्बे समय से लम्बित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो पाने के कारण संभव नहीं हो पाया। मशीन के अंतिम प्रारूप के विनिर्माण एवं तत्पश्चात उसकी डिलीवरी में देरी होना।

(घ) और (ङ) : प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। एक सूची **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है जिसमें प्रत्येक प्रौद्योगिकी केन्द्र के स्थान तथा उसके अनुमानित निवेश का ब्यौरा दिया गया है।

(च) : टीसीएसपी के अंतर्गत स्थापित किए गए 15 टीसी की सूची में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सूची में शामिल नहीं है।

- टीसीएसपी के अंतर्गत महाराष्ट्र में कोई नया प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित नहीं किया जा रहा है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई और औरंगाबाद में दो मौजूदा प्रौद्योगिकी केन्द्र हैं।
- नया प्रौद्योगिकी केन्द्र निम्नलिखित जगहों पर स्थापित किया जा रहा है:-
  - विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) - इसका वित्त वर्ष 2020-21 में उद्घाटन किया गया था और राष्ट्र को समर्पित किया गया।
  - श्रीपेरुमबुदूर (तमिलनाडु) - इसके मई 2023 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(छ) : एमएसएमई मंत्रालय ''नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों की स्थापना'' नामक स्कीम के अंतर्गत देशभर में मौजूदा तथा आगामी केन्द्रों की भौगोलिक पहुंच का विस्तार करने के लिए 20 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों तथा 100 विस्तार केन्द्रों की स्थापना करने की प्रक्रिया में है।

******

अनुबंध-क

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3049, जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची

क्र.सं.	प्रौद्योगिकी केंद्र	राज्य
1)	केंद्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी), भुवनेश्वर	ओडिशा
2)	इंडो डेनिश टूल रूम (आईडीटीआर), जमशेदपुर	झारखंड
3)	केंद्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी), कोलकाता	पश्चिम बंगाल
4)	टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी), गुवाहाटी	असम
5)	इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), औरंगाबाद	महाराष्ट्र
6)	इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), इंदौर	मध्य प्रदेश
7)	इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), अहमदाबाद	गुजरात
8)	केंद्रीय टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना	पंजाब
9)	केंद्रीय हस्त औजार संस्थान (सीआईएचटी), जालंधर	पंजाब
10)	केंद्रीय टूल डिजाइन संस्थान, हैदराबाद	तेलंगाना
11)	विद्युत माप उपकरणों के डिजाइन के लिए संस्थान (आईडीईएमआई), मुंबई	महाराष्ट्र
12)	इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र, रामनगर	उत्तराखंड
13)	प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा	उत्तर प्रदेश
14)	प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ	उत्तर प्रदेश
15)	केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा	उत्तर प्रदेश
16)	केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नई	तमिलनाडु
17)	सुगंध और सुरस विकास केंद्र (एफएफडीसी), कन्नौज	उत्तर प्रदेश
18)	कांच उद्योग विकास केंद्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद	उत्तर प्रदेश

अनुबंध-ख

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3049, जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2022 को दिया जाना है, के भाग (क), (ख) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

टीसीएसपी के तहत प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) का विवरण

क्र.सं.	**स्थान**	**राज्य अमेरिका**	**क्षेत्र**	**डीपीआर मूल्य करोड़ रु. में**
1)	दुर्ग	छत्तीसगढ	सामान्य इंजीनियरिंग	110.56
2)	पटना	बिहार	सामान्य इंजीनियरिंग	145.06
3)	भिवाड़ी	राजस्थान	ऑटो और ऑटो घटक	129.12
4)	बद्दी	हिमाचल प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग	102.31
5)	रोहतक	हरियाणा	सामान्य इंजीनियरिंग	128.70
6)	बेंगलुरु	कर्नाटक	ईएसडीएम	129.50
7)	पुडुचेरी	पुडुचेरी	ईएसडीएम	121.57
8)	इंफाल	मणिपुर	सुगंध और सुरस	48.77
9)	श्रीपेरुमबुदूर	तमिलनाडु	सामान्य इंजीनियरिंग	197.26
10)	ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश	ईएसडीएम	145.43
11)	सितारगंज	उत्तराखंड	ऑटो और ऑटो घटक	122.49
12)	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग	133.28
13)	भोपाल	मध्य प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग	121.71
14)	कानपुर	उत्तर प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग	110.20
15)	कोच्चि (एर्नाकुलम)	केरल	सामान्य इंजीनियरिंग	111.35

******